Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में कृषि उपज मण्डी समिति, सूरजपोल का कनिष्ठ सहायक 4 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *01 मार्च, बुधवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अनिल कुमार सक्सैना कनिष्ठ सहायक नियमन शाखा, कृषि उपज मण्डी समिति, सूरजपोल, जयपुर को परिवादी से **4 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि संशोधित मण्डी लाईसेंस जारी करने की एवज में अनिल कुमार सक्सैना कनिष्ठ सहायक नियमन शाखा, कृषि उपज मण्डी समिति, सूरजपोल, जयपुर द्वारा 5 **हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आलोक चन्द्र शर्मा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री नीरज गुरनानी** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये अनिल कुमार सक्सैना पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सक्सैना निवासी मकान नं0 756, शांति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक नियमन शाखा, कृषि उपज मण्डी समिति, सूरजपोल, जयपुर को परिवादी से **4 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।